

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर धि

## फर्द अहकाम

दिनांक

16 <sup>03</sup>/<sub>21</sub>

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज के उपरान्त भी वकील वादी अनुपस्थित हैं। वादी पक्ष वाद के प्रति पूर्णतः उदासीन है। वादिया विवादित भूमि पर खातेदार भी दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा वाद स्थायी विधेधाना के लिए दायर किया गया है। अतः वाद वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।



16.03.2021

(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
डिण्डौर (करौली)

